HIV और LGBTQ+ समुदाय सहति सभी मरीज़ों का बनिा भेदभाव के समान रूप से चकिति्सा उपचार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश कयि गए एक चार्टर का लक्ष्य है कि एचआईवी रोगयिों और LGBTQ+ समुदाय सहति सभी मरीज़ों को बनिा कसिी भेदभाव के समान रूप से चकिति्सा सुबधिा उपचार प्राप्त हो।

चार्टर संबंधी प्रमुख बदिु

- मरीज़ों के अधकिारों से संबंधति यह चार्टर राष्ट्रीय मानवाधकिार आयोग (NHRC) द्वारा तैयार कयिा गया है।
- उल्लेखनीय है कि विभिनि्न हतिधारकों की टप्पिणयिों पर वचिार करने के बाद मसौदे को अंतमि रूप देने हुए स्वास्थ्य मंत्रालय इसे राज्य सरकारों के माध्यम से लागू करने की योजना बना रहा है।
- इस चार्टर का उद्देश्य चकिति्सकीय प्रतष्ठिानों द्वारा LGBTQ+ समुदाय और एचआईवी रोगयिों समेत सभी मरीज़ों को उचति स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।
- इस चार्टर के मुताबकि, अस्पताल प्रबंधन का यह कर्त्तव्य है कि अस्पताल से प्राप्त होने वाली सुवधिाओं में कसिी भी व्यक्ति के साथ कसिी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो।

क्यों महत्त्वपूर्ण है चार्टर?

- समलैंगकि पुरुष और ट्रांसजेंडर, भारत में एचआईवी/एड्स से प्रभावति महत्त्वपूर्ण समूहों में से हैं।
- इसके अलावा LGBTQ + समुदाय और एचआईवी रोगयिों को सामाजकि भेदभाव का शकिार होना पड़ता है जो स्वास्थ्य देखभाल के अपने अधकिार को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
- लगभग डेढ़ साल तक PLHIVs (एचआईवी ग्रसति लोग) समुदायों ने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं, अस्पतालों या क्लीनकिों द्वारा सकारात्मक परीक्षण कयि जाने के बाद भी कई चुनौतयिों का सामना कयिा है।
- आज भी LGBTQ + समुदाय PLHIVs समुदाय, का हस्सिा होने के दोहरे कलंक का सामना कर रहा है।
- उनके इस कलंक को दूर करने और उन्हें सर्वोत्तम चकिति्सा उपचार प्रदान करने की सख्त आवश्यकता थी, अतः सरकार LGBTQ+ समुदाय और एचआईवी/एड्स रोगयिों के स्वास्थ्य देखभाल अधकिारों पर ध्यान केंद्रति कर रही है।

एचआईवी और एड्स सडि्रोम (रोकथाम और नयिंत्रण) अधनियिम, 2017 के बारे में

- हाल ही में स्वास्थ्य और परवािर कल्याण मंत्रालय ने एचआईवी और एड्स सडि्रोम (रोकथाम और नयिंत्रण) अधनियिम, 2017 के प्रवर्तन की घोषणा की है।

अधनियिम का उद्देश्य

- इस अधनियिम का उद्देश्य एचआईवी के शकिार और प्रभावति लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है।
- इस अधनियिम के प्रावधानों में एचआईवी से संबंधति भेदभाव, कानूनी दायति्व को शामलि करके वर्तमान कार्यक्रम को मज़बूत बनाना तथा शकियतों और शकियत नविारण के लयि औपचारकि व्यवस्था करना है।
- इस अधनियिम का उद्देश्य एचआईवी/एड्स के प्रसार को रोकना और नयिंत्रति करना है।
- यह अधनियिम एचआईवी और एड्स से पीड़ति व्यक्तयिों को उनके उपचार के संबंध में सूचति करने के साथ ही गोपनीयता प्रदान करता है और अपने अधकिारों की रक्षा के लयि प्रतष्ठिानों को उनके दायति्वों के लयि उत्तरदायी ठहराता है।
- उल्लेखनीय है कि इस अधनियिम को 20 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/govts-new-charter-of-rights-plans-to-ensure-all-patients-get-treatment-without-discrimination